न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 87 सन 2019

अनवान :–

1. मदनलाल पुत्र मधाराम जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर।

बनाम

1. प्रकाश 2 प्रहलाद पि0 मधाराम जाति जाअ निवासी सोनडी तहसील नोहर।
3. सावत्री 4 रेवन्ती 5 मीरा 6 बाधो 7 भारती 8 कृष्णा 9 राधा 10 केसर 11 विनोद पुत्रीयान मधाराम जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर।
12. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।

उपस्थित : श्री मांगीलाल देहडु अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 05.02.2019

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 361/349 के खसरा न0 112/5.1090 ,खसरा न0 129/3 की 3.1110हैक खसरा न0 130 की 3.0860हैक कुल 11.3060हैक जो पूर्व में वादी के दादा पतराम पुत्र आसाराम के नाम से दर्ज थी।

माधाराम पुत्र पतराम व उसकी पत्नी चावली जाति जाट फोत होने के बाद उनके जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 के नाम रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 361/349 के खसरा न0 112/5.1090 ,खसरा न0 129/3 की 3.1110हैक खसरा न0 130 की 3.0860हैक कुल 11.3060हैक भूमि दर्ज हो चुकी है।

प्रतिवादी संख्या 3 ता 11 वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ,2 की सगी बहने है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 11 को तलब किया गया तत्पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 स्वय न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 ने निवेदन किया की वाद भूमि पूर्व में वादी के नानू के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद विरास्तन से वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 के नाम से दर्ज हुई तथा प्रतिवादी संख्या 3 ता 11 जो वादी की बहने है ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग अपने भाई/पिता के पक्ष में किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा पेश किया जा चुका है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

हमने पत्रावली का अवलोकन किया राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 के नाम से दर्ज है जो पूर्व में वादी के दादा के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 के नाम से दर्ज हुई है वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 3 ता 11 जो वादी की बहने है ने अपने हक हिस्स की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 3 ता 11 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वाद भूमि में उसने अपने हकों का त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा पेश किया जा चुका है।

इसप्रकार वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 ने स्वीकार करने के कारण काबिल डिक्री है किन्तु प्रतिवादी संख्या 3 ता 11 ने अपने हकों का त्याग किया गया है इसलिये राज्यहकों की सुरक्षा हेतु स्टाम्प डयूटी कायम की जानी उचित है ।

अतः वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं आपसी सहमति के आधार पर वादी का वाद डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 361/349 के खसरा न0 112/5.1090 ,खसरा न0 129/3 की 3.1110हैक खसरा न0 130 की 3.0860हैक कुल 11.3060हैक भूमि के वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 बहिव के खातेदार काश्तकार है एवं मृतक मधाराम का नाम कलमजन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/— रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 05.02.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास मे सुनाया गया ।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

सत्यमव जयत